

2023/765

305
23

प्रशासन गावों के संग अभियान-2023

"न्याय आपके द्वार"
राजस्व लोक अदालत
2018

से गाँव

श्रीमान उच्चतम अधिकारी महोदय
चित्तौड़गढ़

विषय:- सामान्यजनक जाति / नाम संशोधन के सम्बन्ध में।

प्रतिना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एकट 956 की धारा 136
अनुसार श्री कान्ना पिता/पति द्विसा
बनाम
राज्य सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़

महोदयजी,

उपर्युक्त विषय एवं अनुबन्ध में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी कान्ना
द्विसा पिता/पति जयशिवपुरा का/के/हूँ/है।
मैं/हमने पिता/पति प्राणका के राजस्व खाते जयशिवपुरा में खाता संख्या
77 के अन्तर्गत 1 रकबा 0.02 की भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसमें
नौ/हमारी जाति/नाम कान्नाशम दर्ज है जिसको मैं/हम सामान्यजनक रूप
में कान्ना दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं।

अतः मेरे/हमारी जाति/नाम कान्नाशम के बजाय कान्ना दर्ज
करवाने की कृपा करें।

दिनांक

कान्ना

हस्ताक्षर
प्रार्थी/व अन्य

रिपोर्ट पटवारी सहज प्राणका

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण श्री कान्ना पिता द्विसा
जयशिवपुरा राजस्व ग्राम जयशिवपुरा प.ह. प्राणका की जमाबन्दी
प्रार्थी/प्रार्थीगण सामान्यजनक जाति/नाम के अन्तर्गत कान्ना दर्ज करवाना
चाहता है/चाहते हैं। दोनों जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के
हैं। हम इनकी सच्चाय एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना
चाहिये।

Sushila
21-04-2023

28-04-23